University Grants Commission, New Delhi Recognized Journal No. 41311
ISSN: Print: 2347-5021 www.research-chronicler.com ISSN: Online: 2347-503X

महिला सशक्तीकरण ऐतिहासिक विवरण

डॉ. पंकज कुमार

+2 शिक्षक राजनीति विज्ञान बी.बी. कॉलेजिएट, मुजफ्फरपुर

सार संक्षेप

महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ है:महिला को शक्ति संपन्न बनाना। व्यापक रूप में महिला सशक्तीकरण का अभिप्राय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की समुचित भागीदारी से है। इस संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता सशक्तीकरण का एक बड़ा मानक कहा जा सकता है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से इतना सबल बनाना है कि वे अपनी पूर्ण पहचान और शक्ति को महसूस कर सके। यह तभी संभव है जब उन्हें व्यापक पैमाने पर ज्ञान और संसाधन मुहैया होगा। दुर्भाग्यवश अभी तक का इतिहास इस संदर्भ में सुखद नहीं है। आधी आबादी होने के बावजूद महिलाएँ अनंतकाल से भेदभाव का शिकार होती आयी हैं। महिला के बगैर सृष्टि की कल्पना भी संभव नहीं है। सभ्यता के विकास में पुरुषों के समान योगदान के बावजूद महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हाशिये पर डाल दिया गया है। हालांकि महिलाएँ अपने हक के लिए समय–समय पर आवाज उठाती रही हैं जिसमें पुरुषों का भी उन्हें समर्थन प्राप्त रहा है, फिर भी 21वीं सदी का विश्व समुदाय इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकता कि महिलाएँ आज भी अपने वजूद के लिए संघर्षरत हैं। महिला सशक्तीकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गई थी। इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। भारत में वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तीकरण वर्ष' घोषित किया गया। महिलाओं के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे महिला सशक्तीकरण की राह आसान हुई है। बदलते परिवेश में यह उम्मीद की जा सकती है कि 21वीं शताब्दी भारत में महिलाओं के उड़ान की सदी साबित होगी।

मुख्य शब्द : सशक्तीकरण, महिला, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, संघर्ष, आंदोलन।

अध्ययन की विधि : प्रस्तुत अध्ययन विश्लेषणात्मक विधि पर आधरित है।

परिचय : 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में अनेक शब्द सुर्खियाँ बटोरती नजर आयी हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चित शब्द 'महिला सशक्तीकरण' रही है, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है इसलिए यह स्वाभाविक है कि बगैर इनके सशक्त हुए स्वस्थ समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। समझना, महसूस करना और कार्यान्वित रूप प्रदान करना अपने आप में बड़ा ही दुरूह कार्य है। इतिहास इस बात का साक्षी है। महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता को लम्बे समय से महसूस किया जा रहा है किन्तु इसे मूर्त रूप प्रदान करने में कोताही बरती जा रही है। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली किन्तु नहीं बदली तो महिलाओं की स्थिति। महिलाएँ आज भी पुरुष प्रधान समाज में खुद को छला महसूस करती हैं। पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बावजूद महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के लम्बे सफर में लोग बदले, रिवाजों की शक्लें बदल गई, पर बेचैनी कायम है। साड़ी से हाफ पैंट तक के सफर के बावजूद समूची दुनिया में औरतें दूसरे दर्जे की जिन्दगी जीने को अभिशप्त है।[1] केवल भारत में नहीं,

बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों में महिलाएँ भेदभाव की शिकार होती आयी हैं, सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखी जाती रही हैं, वंचित और अधिकार विहीन रही है। पितृसत्ता के प्रचलन के कारण ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम कर दी गई है जिसमें पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है, जहाँ संसाधनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और विचारधारा पर पुरुषों का नियंत्रण होता है।[2] संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक तीन में से एक महिला हिंसा का शिकार होती है। पूरी दुनिया में जारी यह सबसे बड़ी लड़ाई है और सबसे दुखद बात यह कि इनमें से ज्यादातर लड़ाइयाँ परिवार के भीतर लड़ी जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक इन तमाम क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। प्रगति के इस लम्बे सफर में महिलाओं का भी अहम योगदान रहा है बावजूद इसके महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बेटों और बेटियों में फर्क बदस्तूर जारी है। UNOPकी मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 187 देशों में भारत का स्थान 135वाँ है और लिंग असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 152 देशों में 127वाँ है। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जो महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। इन परिस्थितियों में भले ही हम अंतरिक्ष तक का सफर तय कर चुके हों किन्तु हमें अपने भीतर झाँकने की जरूरत है। महिलाओं को उनका पूरा हक दिए दिए बगैर समरस समाज और सशक्त राष्ट्र की कल्पना साकार रूप लेने वाली नहीं है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिलाओं को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए लम्बे समय से संघर्ष किया जा रहा है। वर्ष 1975 इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। 1977 में UNOके महासभा में एक प्रस्ताव पारित करके 8 मार्च को महिला अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला दिवस की घोषणा की गई। तब से हर साल महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

अवधारणात्मक विवेचन : भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में इतिहास लेखन पुरुष केन्द्रित रहा है। यही कारण है कि 'मानुषी' इतिहास ग्रंथों में नहीं के बराबर है। महिलाएँ इतिहास के पन्नों से लगभग अदृश्य रही हैं। वजह यही है कि हमें इनके अतीत के संघर्ष और सफलता–असफलता के बारे में सीमित जानकारी ही मिल पाती है। फिर भी, जो भी जानकारियाँ उपलब्ध है, उनसे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं का अतीत संघर्ष से भरा पड़ा है। संघर्ष की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि घर से ही हो जाती है। विरासत में इन्हें मिला है तो पारिवारिक एवं सामाजिक भेदभाव। आज भी देश के विभिन्न राज्यों में बच्चियों के जन्म पर खुशियाँ नहीं मनायी जाती है। मध्यकाल ने तो सारी हदें पार कर दी थी। सती–प्रथा के प्रचलन ने तो महिलाओं को पुरुषों के पराधीन होने का स्पष्ट प्रमाण दे दिया। चूँकि महिलाओं और पुरुषों का जीवन असमानता के तंज में उलझा हुआ है, दोनों के बीच असमानता को दूर करना महिलाओं के सशक्तीकरण का सही तरीका है। महिला सशक्तीकरण का सबसे व्यापक तत्त्व है उन्हें सामाजिक पद प्रतिष्ठा और न्याय प्रदान करना। महिला सशक्तीकरण के प्रमुख लक्षण हैं।

(i) शिक्षा

(ii) सामाजिक समानता और स्थिति

(iii) बेहतर स्वास्थ्य

(iv) आर्थिक सुदृढ़ता

(v) राजनीतिक सहभागिता

सही शब्दों में आय, कौशल और आत्मविश्वास में वृद्धि जैसे परिवर्तन, ज्यादा–से–ज्यादा

महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाले साधन कहे जा सकते हैं।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में वैश्विक प्रयास : पश्चिमी देशों में 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में महिलाओं के अधिकारों की माँग जोर पकड़ने लगी थी। इससे ठीक पहले 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ओलपड गूज नामक महिला ने क्रांतिकारी व्यवस्था में समानता की अवधारणा को खुलेआम चुनौती दी थी।[3] 1792 में ब्रिटिश लेखिका मेरी बोल्टसक्राफ्ट की पुस्तक 'विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन' प्रकाशित हुई जिसे महिलाओं के अधिकारों का बाइबिल माना गया। 1869 में जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक 'स्त्रियों की पराधीनता' प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि स्त्री–पुरुष का सम्बन्ध मैत्री पर आधारित होना चाहिए प्रभुत्व पर नहीं। मिल का कहना है कि। "If nature has not made men and women unequal still the law make them so. A civilised society therefore is under pressing obligation to create conditions where by accidental physical is equality is to be replaced by social and legal equality."[4] 1884 में फ्रेडरिकएंगेल्स की पुस्तक 'द ओरिजन ऑफ दी फेमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दी स्टेट' प्रकाशित हुई। एंगेल्स की इस पुस्तक का सार यह था कि जैसे–जैसे महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती जायेंगी, वैसे–वैसे उनकी मुक्ति होगी। फ्रांसीसी बुद्धिजीवी सिमोन द वुआ की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक 'दी सेकेंड सेक्स' 1949 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक महिला आंदोलन की आधारशिला बनी।

महिलाओं ने सदियों से अपने जुझारू संघर्ष को अपनी मुक्ति का अस्त्र–शस्त्र बनाया। एक लम्बे संघर्ष के बाद सन् 1894 ईú में न्यूजीलैंड ने विश्व के प्रथम राष्ट्र के रूप में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। यह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विस्मयकारी घटना थी जिसे समर्थन कम विरोध अधिक मिला। न्यूजीलैंड की इस घटना का व्यापक प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। सन् 1901 में आस्ट्रेलिया ने भी महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान कर दिया। 1917 में कनाडा और 1920 में अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया।

महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से 1848 के न्यूयार्क के सेनेका फाल्स घोषणा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें पहली बार महिलाओं के साथ असमान व्यवहारों की आलोचना की गई और महिला अधिकारों के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। 10 दिसम्बर, 1948 को UNOद्वारा मानवाधिकारों का घोषणा–पत्र जारी किया गया जिसमें नारी शोषण तथा वेश्यावृत्ति के खिलाफ सम्मेलन को विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान की गई। UNOके द्वारा 1975 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किया गया। 1985 में नौरोवी में UNO द्वारा प्रथम विश्व महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1995 में बीजिंग में चतुर्थ महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें न्यूनतम ठोस कार्रवाई पर सहमति बनाई गई।[5]UNOमहासभा ने अपने संकल्प संख्या 52/231 के द्वारा 5–9 जून 2000 को न्यूयार्क में एक विशेष सत्र आहूत किया जिनका शीर्षक था 'महिलाएँ 2000 21वीं सदी के लिए लैंगिक समानता, विकास एवं शांति।'

उपरोक्त प्रयासों का यह परिणाम है कि महिलाओं के जीवन शैली में काफी परिवर्तन आया है। विश्व समुदाय ने इनकी महत्ता स्वीकार की है। महिला सशक्तीकरण की राह आसान हुई है, पर संघर्ष अभी जारी है।

महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रयास :

संस्कृत में एक श्लोक है।

नारी विहीन गृहमृ न उच्यते।

नारी विहीन गृहम् अरण्य सदृश्य भवति।

अर्थात् नारी के बिना घर नहीं होता और नारी के बगैर घर जंगल के समान होता है। स्पष्ट है कि नारी की महत्ता सदैव स्वीकार की गई है

किन्तु इन्हें इनके वाजिब हक से सदा से मरहूम रखा गया है। यह अजीब विडंबना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था:'जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती है तब तक विश्व कल्याण की बात सोचना बेमानी होगी, क्योंकि किसी पक्षी के लिए केवल एक डैने से उड़ना संभव नहीं होता।' लेकिन भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था कायम रहने के कारण महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आये हैं। लैंगिक आधार पर किये जा रहे भेदभाव की वजह से आधी आबादी को उन अधिकारों से वंचित रहना पड़ा है, जिन्हें संविधान प्रदत्त प्रावधानों के अलावे समय–समय पर बनाये गये कानूनों एवं उनमें किये गये संशोधनों के जरिये उपलब्ध कराये गये हैं। चूँकि भारतीय महिलाएँ जीवन के सभी क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं, अतः उनके सशक्तीकरण के लिए लम्बे समय से प्रयास भी किये जा रहे हैं। सशक्तीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है और यह एक सतत् प्रक्रिया भी है और इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है। जटिल और गतिशील प्रकृति के कारण किसी भी वैकासिक अध्ययन में सशक्तीकरण को परिभाषित करना और उसको मापना एक चुनौती है। महिलाओं के मामले में तो यह और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के साथ दीर्घकाल से भेदभाव होता रहा है।[7] असमानता एवं भेदभाव के खिलापफ संघर्ष का संघनाद तो आज से हजारों वर्ष पूर्व ही कर दिया गया था जब सुमंगला माता और भुट्टा ने महात्मा बुद्ध से प्रेरित होकर घर–गृहस्थी और समाज के जंजालों को त्यागकर भिक्षुणी बनने का निर्णय लिया था।[8] इसी तरह मध्यकाल में मीराबाई का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़कर सड़कों पर भक्ति गीत गाए और हमारे लिए कविता और संगीत की एक समृद्ध वसीयत छोड़ी।[9]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए गये। भारतीय संविधान में सभी क्षेत्रों में जितने भी अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं उनमें महिलाएँ समान रूप से शामिल हैं। महिला–पुरुष समानता की गारंटी भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण की दिशा में किये गये कुछ प्रमुख प्रयास निम्न हैं:

1 **राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन:**1991 में महिला आयोग का गठन किया गया।

2 **स्थानीय निकायों में आरक्षण:** 73वें एवं 74वें संविधन संशोधन के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए गये।

कन्ट्री रिपोर्ट 1995: बीजग सम्मेलन में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक कन्ट्री रिपोर्ट तैयार की जिसमें भारतीय महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को दर्शाया गया था।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001:भारत की तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तीकरण वर्ष' घोषित किया गया। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 में महिलाओं के साथ भेदभाव दूर करने के लिए तीन नीतिगत दृष्टिकोण अपनाये जाने की बात कही गई।[10] ये हैं:

(i) विधिक प्रणाली और अधिक उत्तरदायी तथा महिलाओं की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हो।

(ii) विशेष प्रयासों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए।

(iii) प्रतीकवाद और बहानों का सहारा लिए बिना आगे आकर समस्या का समाधान करना होगा।

5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: भारत सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

अधिनियम 2005 पारित किया गया जो 14 सितम्बर 2005 से प्रभावी में आया।

6. **मनरेगा:** महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत रोजगार आरक्षित किए गये हैं।

7. **स्टेप कार्यक्रम:** निर्धन महिलाओं के आय स्तर में वृद्धि के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) कार्यक्रम का प्रावधान किया गया।

8. **महिला डेयरी योजना:** देश भर में महिला दुग्ध सरकारी समितियों का गठन किया गया ताकि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाया जा सके।

9. रोजगार–सह–आयोत्पादक एकक कार्यक्रम की शुरुआत।

10. **जननी सुरक्षा योजना:** 'राष्ट्रीय प्रसूति' लाभ योजना के स्थान पर वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना आरंभ की गई।

11. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत औपनिवेशिक शासनकाल की समाप्ति के पश्चात् स्वतंत्र भारत में एक दीर्घकालीन नीति अपनाकर महिला सशक्तीकरण की दिशा में अनेक प्रयास किये गये। इस दिशा में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया जब महिलाओं के कल्याण से हटकर महिलाओं के विकास पर जोर देने की नीति अपनाई गई।[11] आठवीं योजना में पुनः विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समान भागीदार बनाने पर जोर दिया गया। भारत सरकार द्वारा समावेशी विकास का संकल्प लिया गया है। ऐसे में महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति भारत सरकार और भी गंभीर हुई है।

निष्कर्ष: कुछ बातें कुछ समय के पश्चात् अप्रसंगिक हो जाती है। उसका अप्रासंगिक होना राष्ट्रहित में ही होता है। साफ शब्दों में कहें तो 'महिला सशक्तीकरण' शब्द को भी आज की तारीख में अप्रासंगिक हो जाना चाहिए था किन्तु दुर्भाग्यवश अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में 'महिला सशक्तीकरण' शब्द आज भी प्रचलन में है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि 21वीं सदी में भी महिलाएँ असमानता की शिकार हैं। शासन प्रणालियाँ बदली, लोकतंत्रा में सत्ता के अगुआ बदले लेकिन नहीं बदली तो महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया। संविधान के मूल में समानता की अवधरणा स्थित होने के बावजूद समानता के धरातल पर महिलाओं की जगह नदारद ही दिखती है। महिलाओं के सामने जितनी भी समस्याएँ हैं सभी समस्याएँ असमानता के इर्द–गिर्द घूमती हैं। महिलाओं के साथ व्याप्त असमान व्यवहार 'महिला सशक्तीकरण' की दिशा में सबसे बड़ा अवरोध है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उनकी पूरी सहभागिता के लिए पर्याप्त कदम उठाये जायँ। यहाँ एक बात गौर करने की है कि समाज के निचले स्तर से महिलाओं का सशक्तीकरण होना चाहिए और इसके लिए उनके प्रति मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन के साथ–साथ उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाने की आवश्यकता है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों से यह उम्मीद बँधती है कि आने वाले समय में महिलाएँ अपनी प्रतिभा का परचम लहरायेंगी। देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा और भारत विश्व गुरु का दर्जा पुनः प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। निःसन्देह 21वीं सदी महिलाओं के लिए उड़ान की सदी साबित होगी।

संदर्भ :

1.शशि शेखर ने कादम्बिनी पत्रिका के मार्च 2015 अंक के सम्पादकीय में उक्त बातें लिखी हैं।
2.भसीन कमला : योजना, सितम्बर 2016, पृ.–9
3.नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ.–6
4.कुमार डॉ. ईश्वरचन्द्र, महिला सशक्तीकरण के सपने : कितने पूरे : कितने अधूरे, पुस्तक भवन प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.–16
5.शर्मा सुभाष, भारतीय महिलाएँ : दशा एवं दिशा, शताब्दी प्रकाशन, पटना, पृ.–12

6.योजना, सितम्बर 2016, पृ.–51
7.चट्टोपाध्याय अरूधंती, भारतीय राज्यों में स्त्री सशक्तीकरण, योजना, जून 2012, पृ.–19
8.नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ.–269
9.वही, पृ.–269
10.योजना, जून 2012, पृ.–5
11.वही, पृ.–5